संख्या-55/2022/187 /23-9-2022-02नाबार्ड/2021

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निमाण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनॉक 28 अप्रैल, 2022

विषय:-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 (Rural Infrastructure Development Fund) योजनान्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-276/31 पी.जे.(सा0)/आरएसडी-5/20, दिनांक 22.02.2021 एवं पत्र संख्या-26/31पी.जे.(सा0)/आरएसडी-5/21, दिनांक 14.06.2021 एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-137/31पी.जे.(सा0)/आरएसडी-5/21, दिनांक 23.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 (Rural Infrastructure Development Fund) योजनान्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 (Rural Infrastructure Development Fund) योजनान्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

(i) लोक निर्माण विभाग में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित मार्ग निर्माण कार्यों में 05 वर्षीय दोष निवारण अवधि को सम्मिलित करते हुए अनुरक्षण लागत (परियोजना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक) को परियोजना लागत में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था लागू किया जाय ।

(ii) बिटुमिनस मार्गो पर अनुरक्षण हेतु प्रदर्शित सूचकांक (Performance Index) के साथ मद/गतिविधियों के नाम को दर्शाते हुये एक वर्ष के संचालन की आवृत्ति के साथ नियमित गतिविधि कैलेण्डर तैयार किया गया है, जिसमें सभी कार्य मोर्थ (MORTH-Ministry of Road Transport & Highways) (प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग) के लिए), मोर्ड (MORD- Ministry of Rural Development) (ग्रामीण मार्गों के लिए) के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुसार किया जाय (संलग्नक-1) ।

(iii) सीमेंट कंक्रीट मार्गो पर अनुरक्षण हेतु प्रदर्शित सूचकांक (पी0आई0) के साथ मद/गतिविधियों के नाम को दर्शाते हुये एक वर्ष के संचालन की आवृत्ति के साथ नियमित गतिविधि कैलेण्डर तैयार किया गया है, जिसमें सभी कार्य मोर्थ (MORTH-Ministry of Road Transport & Highways) (प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग के लिए), मोर्ड (MORD-Ministry of Rural Development) (ग्रामीण मार्गों के लिए) के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुसार किया जाय (संलग्नक-2) ।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iv)अनुरक्षण कार्य के भुगतान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी :- सक्षम स्तर से प्रत्येक माह मार्ग का संयुक्त निरीक्षण, विभागीय अभियन्ता व संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ किसी स्वततंत्र तकनीकी संस्थान के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जायेगा। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोंण (Drone) आदि का भी प्रयोग निरीक्षण हेतु किया जाय, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट सृष्टि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी तथा निर्धारित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही किये जाने की सूचना सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। फर्म/ठेकेदार को अनुरक्षण कार्य का भुगतान प्रतिमाह किया जा सकता है। यदि फर्म/ठेकेदार द्वारा समय सीमा के अंतर्गत अनुरक्षण से सम्बन्धित वांछित कार्यवाही नही की जाती है, तो अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3- अत: नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 (Rural Infrastructure Development Fund) योजनान्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

क्रमश:.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
3- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 ।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
7- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0शासन ।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanades

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

Routine Maintenance Activity Calendar with Performance Index (PI) for Bituminous Road.

S.No.	Name of Item/Activity	Frequency of operation in a year	PI
1	2	3	4
1	Maintenance of Bituminous surface road and/or gravel road and / or WBM road including filling potholes and patch repair etc.	As and when required	50
2	Restoration of raincuts and dressing of side slopes / berms.	Once generally after rains . (In case of areas having rainfall more than 1500 mm per year, as and when required)	10
3	Making up of berms / shoulders.	As and when required	20
4	Maintenance of drains	Twice in a year	3
5	Maintenance of culverts.	Twice in a year	4
6	Maintenance of guard rails and parapet.	As and when required. Repairing once in a year	1
7	Maintenance of road signs, speed breakers, standing tree adjacent to road wherever required.	As and when required. Repairing once in every two year	2
8	Maintenance of 200 m and kilometer stones.	As and when required. Repairing once in a year	2
9	Cutting of branches of trees, shrubs and trimming of grass and weeds etc.	Once generally after rains. (In case of areas having rainfall more than 1500 mm per year, as and when required)	3
10	White washing of parapets including CD works.	Once in a year	2
11	Painting of guard stones.	Twice in a year	2
12	Re-Fixing of displaced guard stones.	Once in a year	1
		Total Marks	**100**

(All works to be done as per relevent specifications of MoRTH (for ODR & MDR) and MoRD (for Village Roads)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

Routine Maintenance Activity Calendar with Performance Index (PI) for CC Road.

S.No.	Name of Item/Activity	Frequency of operation in a year	PI
1	2	3	4
1	Maintenance of concrete surface including crack sealing spot patching.	As and when required	50
2	Restoration of raincuts and dressing of side slopes / berms.	Once generally after rains (In case of areas having rainfall more than 1500 mm per year, as and when required)	10
3	Making up of berms / shoulders.	As and when required	20
4	Maintenance of drains	Twice in a year	3
5	Maintenance of culverts and cause ways	Twice in a year	4
6	Maintenance of guard rails and parapet.	As and when required. Repairing once in a year	1
7	Maintenance of road signs, speed breakers, standing tree adjacent to road wherever required.	As and when required. Repairing once in every two year	2
8	Maintenance of 200 m and kilometer stones.	As and when required. Repairing once in a year	2
9	Cutting of branches of trees, shrubs and trimming of grass and weeds etc.	Once generally after rains. (In case of areas having rainfall more than 1500 mm per year, as and when required)	3
10	White washing of parapets including CD works.	Once in a year	2
11	Painting of guard stones.	Twice in a year	2
12	Re-Fixing displaced guard stones.	Once in a year	1
		Total Marks	**100**

(All works to be done as per relevent specifications of MoRTH (for ODR & MDR) and MoRD (for Village Roads)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।